रजिस्टर्ड नं० [illegible]

लाइसेन्स टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 6 जनवरी, 2001 ई० (पौष 16, 1922 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र; खण्ड-क--नगरपालिका परिषद्; खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ--जिला पंचायत

29 नवम्बर, 2000 ई०

सं० 506-07/XXI-22 (87-88)-उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम [illegible]61 की धारा 239(2) के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों के नियंत्रण एवं विनियमितीकरण हेतु बनाये गये उपनियम [illegible]यत, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा स्वीकृत एवं प्रचलित हैं, के पैरा 16 को अतिक्रमित करते हुए निम्नांकित [illegible] प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 242 (2) के अनुसार प्रकाशन एवं नियत [illegible]धिकारी की स्वीकृति उपरान्त गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

उपविधियां

क्रम सं०	वर्तमान शुल्क		एतद्द्वारा	प्रतिस्थापित शुल्क
1	2		3	
		रु०		रु०
16 (अ)	राइस, शुगर, आयल, फ्लोर, दाल, पेपर, पाईप, स्पिनिंग, रोलिंग बीज, कपड़ा, केमीकल्स, गत्ता, माचिस, रबड़, कत्था, केम्फर, कल-पुर्जे बनाने, 1000/-	1000.00	16 (अ)	
			1--राइस मिल	2,000.00
			2--आयल मिल	2,000.00
			3--फ्लोर मिल	2,000.00
			4--दाल मिल	2,000.00
			5--पेपर मिल	2,000.00
			6--स्पिनिंग	5,000.00
			7--माचिस कारखाना	5,000.00
			8--रबर फैक्ट्री	5,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

1	2		3	4
				रु०
			9--करघा फैक्ट्री	2,000.00
			10--खाद का कारखाना	5,000.00
			11--कल पुर्जे बनाने का कारखाना	2,000.00
			12--शुगर फैक्ट्री	5,000.00
			13--दूध का पाउडर या अन्य सामान का कारखाना	5,000.00
			14--सरिया बनाने का कारखाना	2,000.00
			15--फल सब्जी आदि का कोल्ड स्टोर	2,000.00
			16--आईस फैक्ट्री	1,000.00
			17--चीनी मिट्टी के सामान बनाने का कारखाना	2,000.00
			18--दफ्ती या कागज बनाने का कारखाना	2,000.00
			19--रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00
			20--शीशे की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00
			21--हड्डी पीसने का कारखाना	2,000.0
			22--दवायें बनाने का कारखाना	2,000.0
			23--चमड़ा रंगाई का कारखाना	2,000.0
			24--सैनासाईड आदि बनाने का कारखाना	2,000.0
			25--अचार, मुरब्बा चटनी, जैम जैली या अन्य इसी प्रकार की खाद्य पदार्थ का कारखाना	5,000.0
			26--पाईप फैक्ट्री	2,000.0
	(ब) सल्फर, नान सल्फर, हाइड्रोलिक, नान हाईड्रोलिक, छः रोलर चेयनयुक्त प्लान्ट	1,000.00	(ब) सल्फर, नान सल्फर, हाईड्रोलिक, नान हाईड्रोलिक, चेयन युक्त प्लान्ट	2,000.0
	(स) सल्फर, नान सल्फर, हाईड्रोलिक, नान हाईड्रोलिक, छः रोलर बिना चेयन युक्त प्लान्ट	500.00	(स) सल्फर, नान सल्फर, हाई-ड्रोलिक, बिना चेयन युक्त प्लान्ट	1,000.0
	(द) पावर कोल्हू	200.00	(द) पावर कोल्हू	500.0
	(य) आटा चक्की धान मशीन थ्रेशर	50.00	(य) आटा चक्की धान मशीन थ्रेसर प्रति मशीन	100.0
	(र) तेल/रूई मशीन	30.00	(र) तेल/रूई मशीन	50.0
	(ल) आरा मशीन	100.00	(ल) आरा मशीन	500.0
	(व) अन्य कुटीर या गृह उद्योग	100.00	(व) अन्य कुटीर व गृह उद्योग	500.0

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

1	2	3	4
			रु०
16	(न) उपरोक्त दरों में यथास्थित जिला पंचायत की स्वीकृति से वृद्धि की जा सकेगी		
			प्रति वर्ष
		27---मेथा प्लांट	1,000.00
		28---मिनी राईस मिल	500.00
		29---शक्कर मशीन	500.00
		30---अन्य समस्त उद्योग कारखाने	2,000.00

नोट--जिला पंचायत बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त ग्रामीणों को उपरोक्त उपनियम में यदि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत कार्य-दिवस में अपनी आपत्ति स्वयं या रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला पंचायत बरेली के कार्यालय में दर्ज करा देवें। समय निकलने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अमल कुमार वर्मा,
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

पी० एस० यू० पी०-41 हिन्दी गजट-भाग 3--2000 ई०

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

धारा 242 (2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है। ये उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायगी।

उपनियम

जनपद लखनऊ में स्थित हवाई अड्डों से चारों ओर 5 कि०मी० दूरी तक कोई व्यक्ति (व्यक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्था, समूह, कम्पनी आदि से होगा) ईंट भट्ठा जिसमें चिमनी का प्रयोग किया जाता है न लगवायेगा और न फुकवायेगा तथा न ही संचालित करेगा जब तक कि हवाई अड्डे के सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लें। गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व में चल रहे भट्ठों पर यह उपधारा लागू नहीं होगी तथा नये भट्ठों पर यह उप धारा लागू होगी।

मुकेश कुमार,
आयुक्त,
लखनऊ मंडल, लखनऊ।

22 फरवरी, 1988 ई०

सं० 943–944/21–22(87–88)––उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद्, बरेली द्वारा जनपद बरेली के ग्रामीण अंचल में स्थापित/संचालित होने वाली औद्योगिक इकाई के नियंत्रण एवं विनियमन हेतु संशोधित उपनियम बनाये गया है। उक्त उपनियम राज्य विज्ञप्ति संख्या 258/इक्कीस–1 (57–60), दिनांक 18 नवम्बर 1958 एवं राज्य विज्ञप्ति संख्या 591–92/इक्कीस–62(80–81), दिनांक 7 फरवरी, 1983 को निरस्त करते हुये शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

उपनियम

1––यह उपनियम जनपद बरेली के ग्रामीण अंचल में स्थापित/संचालित होने वाली औद्योगिक इकाई के नियंत्रण एवं विनियमन उपनियम कहलायेंगे। औद्योगिक इकाई का तात्पर्य उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से है जहां से किसी प्रकार का उत्पादन अथवा वितरण का कार्य होता है तथा जो गृह/कुटीर, लघु, मध्यम एवं उच्च श्रेणी के उद्योग की परिधि में आते हों।

2––यह उप नियम जनपद बरेली में स्थापित होने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों पर प्रभावी होंगे चाहे वह बिजली, जनरेटर, डीजल, पेट्रोल अथवा अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा/शक्ति से संचालित किये जाते हों।

3––कोई व्यक्ति जनपद बरेली के ग्रामीण अंचल में तब तक कोई औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नहीं करेगा जब तक वह जिला परिषद् बरेली से एतदर्थ निर्धारित अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त न कर लें।

4––इन उपनियमों के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् बरेली लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

5––कोई औद्योगिक इकाई ऐसे स्थान पर स्थापित नहीं की जा सकेगी जहाँ उसके चलने से वातावरण प्रदूषित होता हो अथवा मानव, पशु-पक्षी, कृषि एवं वनस्पतियों के लिये किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना हो।

6––औद्योगिक इकाई के लिये वायु, ध्वनि एवं अन्य प्रदूषणों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी आदेशों का पालन करना।

7––किसी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :

(1) प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अथवा विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उस भू-खण्ड के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जिस पर इकाई स्थापित करना हो।

(3) स्थल एवं प्रस्तावित इकाई का मानचित्र तथा निकटतम पक्के मार्गों एवं उससे उक्त स्थल से दूरी सम्बन्धी पूर्ण विवरण।

(4) इकाई में निवेश पूंजी एवं दायित्व का विवरण।

(5) यदि किसी अन्य विभाग से कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अभीष्ट हो तो उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(6) इकाई एवं परिसर में स्वच्छता सम्बन्धी की गई व्यवस्था का विवरण।

(7) इकाई में अग्नि से अथवा किसी आपातकालीन स्थिति से सुरक्षा के लिये की गई व्यवस्था सम्बन्धी विवरण।

(8) इकाई में नियुक्त एवं कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का पूर्ण विवरण।

(9) इकाई परिसर में पेयजल सम्बन्धी व्यवस्था का विवरण।

(10) इकाई के संचालन में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा/शक्ति जैसे विद्युत, भाप, कोयला आदि का विवरण।

(11) इकाई में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल सम्बन्धी विवरण।

(12) इकाई के संचालन अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न अथवा अवशेष गैस, तरल, ठोस, विषाक्त एवं प्रदूषित पदार्थ के निकास अथवा निस्तारण सम्बन्धी विवरण।

(13) इकाई परिसर में प्रयोजनीय चिमनी का विवरण।

(14) उद्योग की श्रेणी, प्रकृति एवं कार्य को दृष्टिगत रखते हुये यथावश्यकता लाइसेन्स अधिकारी द्वारा इन प्रतिबन्धों को शिथिल किया जा सकेगा।

8––लाइसेन्स अवधि समाप्त होने से पूर्व ही आगामी अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) के लिये प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9––इकाई स्वामी को प्रथम बार छोड़कर प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् लाइसेन्स शुल्क दो गुना देय होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

धारा 242 (2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है । ये उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी ।

उपनियम

जनपद लखनऊ में स्थित हवाई अड्डों से चारों ओर 5 कि0मी0 दूरी तक कोई व्यक्ति (व्यक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्था, समूह, कम्पनी आदि से होगा) ईंट भट्ठा जिसमें चिमनी का प्रयोग किया जाता है न लगायेगा और न चलायेगा तथा न ही संचालित करेगा जब तक कि हवाई अड्डे के सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर ले । गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व में चल रहे भट्ठों पर यह उपधारा लागू नहीं होगी तथा नये भट्ठों पर यह उपधारा लागू होगी ।

मुकेश कुमार,
आयुक्त,
लखनऊ मंडल, लखनऊ।

22 फरवरी, 1988 ई0

सं0 943-944/21-22(87-88)--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद्, बरेली द्वारा जनपद बरेली के ग्रामीण अंचल में स्थापित/संचालित होने वाली औद्योगिक इकाई के नियंत्रण एवं विनियमन हेतु संशोधित उपनियम बनाया गया है । उक्त उपनियम राज्य विज्ञप्ति संख्या 258/इक्कीस-1 (57-60), दिनांक 18 नवम्बर 1958 एवं राज्य विज्ञप्ति संख्या 591-92/इक्कीस-62(80-81), दिनांक 7 फरवरी, 1983 को निरस्त करते हुये शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

उपनियम

1--यह उपनियम जनपद बरेली के ग्रामीण अंचल में स्थापित/संचालित होने वाली औद्योगिक इकाई के नियंत्रण एवं विनियमन उपनियम कहलायेंगे । औद्योगिक इकाई का तात्पर्य उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से है जहां से किसी प्रकार का उत्पादन अथवा वितरण का कार्य होता है तथा जो गृह/कुटीर, लघु, मध्यम एवं उच्च श्रेणी के उद्योग की परिधि में आते हों ।

2--यह उप नियम जनपद बरेली में स्थापित होने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों पर प्रभावी होंगे चाहे वह बिजली, जनरेटर, डीजल, पेट्रोल अथवा अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा/शक्ति से संचालित किये जाते हों ।

3--कोई व्यक्ति जनपद बरेली के ग्रामीण अंचल में तब तक कोई औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नहीं करेगा जब तक वह जिला परिषद् बरेली से एतदर्थ निर्धारित अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त न कर लें ।

4--इन उपनियमों के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् बरेली लाइसेन्स अधिकारी होंगे ।

5--कोई औद्योगिक इकाई ऐसे स्थान पर स्थापित नहीं की जा सकेगी जहाँ उसके चलने से वातावरण प्रदूषित होता हो अथवा मानव, पशु-पक्षी, पौधों एवं वनस्पतियों के लिये किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना हो ।

6--औद्योगिक इकाई के लिये वायु, ध्वनि एवं अन्य प्रदूषणों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी आदेशों का पालन करना ।

7--किसी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिये निम्नलिखित प्रपत्रों का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :

(1) प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अथवा विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) उक्त भू-खण्ड के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जिस पर इकाई स्थापित करना हो ।

(3) स्थल एवं प्रस्तावित इकाई का मानचित्र तथा निकटतम पक्के मार्गों एवं उससे उक्त स्थल से दूरी सम्बन्धी पूर्ण विवरण ।

(4) इकाई में निवेश पूंजी एवं दायित्व का विवरण ।

(5) यदि किसी अन्य विभाग से कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अभीष्ट हो तो उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(6) इकाई एवं परिसर में स्वच्छता सम्बन्धी की गई व्यवस्था का विवरण ।

(7) इकाई में अग्नि से अथवा किसी आपातकालीन स्थिति से सुरक्षा के लिये की गई व्यवस्था सम्बन्धी विवरण ।

(8) इकाई में नियुक्त एवं कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का पूर्ण विवरण ।

(9) इकाई परिसर में पेयजल सम्बन्धी व्यवस्था का विवरण ।

(10) इकाई के संचालन में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा/शक्ति जैसे विद्युत, भाप, कोयला आदि का विवरण ।

(11) इकाई में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल सम्बन्धी विवरण ।

(12) इकाई के संचालन अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न अथवा अवशेष गैस, तरल, ठोस, विषाक्त एवं प्रदूषित पदार्थ के निकास अथवा निस्तारण सम्बन्धी विवरण ।

(13) इकाई परिसर में प्रयोजनीय चिमनी का विवरण ।

(14) उद्योग की श्रेणी, प्रकृति एवं कार्य को दृष्टिगत रखते हुये यथावश्यकता लाइसेन्स अधिकारी द्वारा इन प्रतिबन्धों को शिथिल किया जा सकेगा ।

8--लाइसेन्स अवधि समाप्त होने से पूर्व ही आगामी अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) के लिये प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

9--इकाई स्वामी को प्रथम बार छोड़कर प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा । इसके पश्चात् लाइसेन्स शुल्क दुगुना देय होगा ।

अपर मुख्य अधिकारी

10—लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च तक होगी । लाइसेन्स शुल्क पूर्ण वर्ष के लिये देय होगा, चाहे वह किसी भी माह लिया जावे । लाइसेन्स अहस्तांतरणीय एवं अप्रत्यावर्तनीय होगा ।

11—किसी भी इकाई पर 18 वर्ष से कम आयु के अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा ।

12—इन उपनियमों के उल्लंघन अथवा अवहेलना में किसी भी समय लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है ।

13—लाइसेन्स अधिकारी अथवा परिषद् के अन्य अधिकारी किसी भी समय इकाई का निरीक्षण करने के लिये सक्षम होंगे और नियमानुसार कोई कमी पाये जाने पर एतदर्थ लाइसेन्स अधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

14—इकाई स्वामी अथवा व्यवस्थापक द्वारा उपनियमों के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेन्स अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जिला परिषद् अधिनियम के अनुच्छेद 8 में दी गई रीति से लाइसेन्स शुल्क की वसूली कर ले ।

15—इकाई के स्वामी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अनुज्ञा-पत्र स्थल पर ही रखे तथा एक निरीक्षण पुस्तिका भी रखे जो जिला परिषद्, बरेली द्वारा उसका मूल्य (दस) 10 रुपया लेकर निर्गत की जायेगी ।

16—इन उप नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स शुल्क निम्न प्रकार होगा जो समय-समय पर अध्यक्ष, जिला परिषद्, बरेली की अनुमति से अभिवृद्ध किया जा सकेगा ।

(अ) मिल, फैक्ट्री	लाइसेन्स फीस रुपया
राइस, शुगर, आयल, फिलोर, दाल, पेपर, पाइप, स्पिनिंग, रोलिंग, बोन, कपड़ा, कैमीकल्स, गत्ता माचिस, रबड़, कत्था, कैम्फर, कल-पुर्जे, बनाने वाली मशीन एवं अन्य औद्योगिक कारखाने जिनका टर्न ओवर फैक्ट्री टैक्स के अन्तर्गत आती हो	रु0 1000.00
(ब) अन्डर/नान अन्डर, हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक 3 कोल्हू संयुक्त प्लान्ट	1000.00
(स) अन्डर/नान अन्डर/हाइड्रोलिक नान हाइड्रोलिक बिना संयुक्त	500.00
(द) पावर कोल्हू	200.00
(य) आटा चक्की, धान मशीन, स्पेलर	30.00
(र) तेल, रुई मशीन	30.00 प्रति बार
(ल) आरा मशीन	100.00
(व) अन्य कुटीर एवं गृह उद्योग	100.00

प्रति
//

17—इन उपनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण के समय यदि कोई औद्योगिक इकाई बिना लाइसेन्स संचालित पाई गई तो जिला परिषद् के अधिकारी अथवा निरीक्षक सम्बन्धित मशीनों को तार बांध कर सील कर देंगे ताकि मशीनों का उपयोग न किया जा सके और इकाई बन्द करा दी जायेगी तथा यह माना जायेगा कि वह इकाई वर्ष के प्रथम दिवस से ही कार्यरत है ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद्, बरेली यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 250 रुपया तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोषसिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, दस रुपया प्रतिदिन तक हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारागार से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा ।

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली ।

खण्ड—घ—पंचायती राज

25 सितम्बर, 1986 ई0

सं0 3/1462-86-3-6-53-77—उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, 1947 (ऐक्ट संख्या 26, 1947) की धारा 3, जिसके अधिकार निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश को सरकारी विज्ञप्ति संख्या 4193-के/33-C-64 दिनांक 27 जुलाई, 1966 द्वारा प्रतिनिहित किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, राम रतन राम, निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर जिले की गांव सभाओं की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 3/4656-77, दिनांक 2 सितम्बर, 1977 में निम्न प्रकार संशोधन करता हूं:—

यह संशोधन गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

जिला—सुल्तानपुर

तहसील—सुल्तानपुर

गजट में प्रकाशित स्थिति			संशोधित स्थिति		
गजट क्रमांक	नाम गांव सभा	सम्मिलित गांव	गजट क्रमांक	नाम गांव सभा	सम्मिलित गांव
452	रामापुर	1—रामापुर 2—मुमांयां 3—लखनपुर 4—मड़ई	452	रामापुर	1—रामापुर 2—लखनपुर
			557	मुमाएं	1—मुमाएं 2—मड़ई

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

मानव, पशु, पक्षी, कृषि, बाग एवं वनस्पति के लिए किसी प्रकार की हानि की सम्भावना हो। यह दूरी 500 मीटर से कम नहीं होगी।

6—भट्टा के लिए वायु, ध्वनि एवं अन्य प्रदूषणों के अन्तर्गत समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी आदेशों का पालन करना होगा साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जनपद बरेली के हवाई अड्डे के निर्दिष्ट निषेध परिधि में भट्टा नहीं स्थापित किया जायेगा।

7—किसी भट्टे को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा :—

(1) प्रार्थना-पत्र भट्टा स्वामी द्वारा लाइसेन्स अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) भट्टा स्थापित करने वाले भूखण्ड के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) स्थल एवं प्रस्तावित भट्टे का मानचित्र तथा निकटतम पक्के मार्गों एवं उससे उक्त स्थल से दूरी सम्बन्धी पूर्ण विवरण।

(4) भट्टे में निवेश पूंजी एवं दायित्व का विवरण।

(5) भट्टे के संचालन में प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल का विवरण।

(6) भट्टा परिसर में पेय जल, अग्नि शमन किसी आपातकालीन स्थिति से सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था का विवरण।

(7) भट्टा स्वामी (व्यक्ति, कम्पनी, समिति आदि) को भट्टे पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का विवरण निम्न रूप में देना अनिवार्य होगा :

(क) मुंशियों की संख्या।

(ख) मजदूरों की संख्या (पुरुष) महिला अलग-अलग।

(ग) अन्य कर्मचारियों की संख्या।

(घ) कार्यरत-कर्मचारियों/मजदूरों के निवास, सुरक्षा एवं मेडिकल सुविधा की व्यवस्था।

8—उत्पादित ईंट का साइज राज्य सरकार द्वारा निर्धारित साइज के अनुरूप होगा।

9—जिला परिषद्, बरेली का लाइसेन्स अन्य लाइसेन्सों से भिन्न है। अतः इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी भट्ठा अथवा भट्ठी पजावा आदि स्थापित करने अथवा चलाने से पूर्व जिला परिषद् का लाइसेन्स आवश्यक होगा। यदि प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी नियम अथवा आदेश के अनुसार किसी अन्य विभाग को भी लाइसेन्स निर्गत करना हो तो सम्बन्धित विभाग का सक्षम अधिकारी तब तक लाइसेन्स निर्गत नहीं करेगा अथवा नवीनीकरण नहीं करेगा जब तक जिला परिषद् द्वारा लाइसेन्स निर्गत न कर दिया गया हो।

10—इन उपनियम के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, बरेली लाइसेन्स अधिकारी होंगे। अपर मुख्य अधिकारी के न होने पर मुख्य अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

11—इस उपनियम के अन्तर्गत इकाई का निरीक्षण किसी भी समय जिला परिषद, बरेली के अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, निरीक्षण कर सकते हैं। समस्त अनुज्ञाधारियों को अपना लाइसेन्स इकाई पर ही रखना अनिवार्य होगा और ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा जो इकाई के प्रवेश पर ही दिखाई पड़े।

12—यदि कोई भट्ठा, भट्ठी, पजावा बिना लाइसेन्स चलती पायी गयी है तो जिला परिषद् के लाइसेन्स अधिकारी अपने स्टाफ सहित इकाई की स्थिति अनुसार सील कर सकते हैं और सामग्री, माल, ईंट आदि अपने कब्जे में ले सकते हैं।

13—अनुज्ञा-पत्र—लाइसेन्स एक वर्ष के लिए होगा, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च तक होगा।

14—लाइसेन्स अधिकारी लाइसेन्स के लिए जनहित में कोई भी अन्य शर्त अथवा प्रतिबन्ध जिसका उल्लेख उपनियमों में न हो, लगा सकते हैं जो उपनियम का ही भाग माना जायेगा और लाइसेन्सीज प्रार्थियों पर बाध्यकारी होगा।

15—18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति तथा संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

16—लाइसेन्स अधिकारी इन उपनियमों में तथा अन्य निर्देशों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त कर सकता है।

17—ईंट तथा खपरैल निर्माण हेतु किसी ऐसे स्थान से मिट्टी नहीं ली जायेगी, जो सार्वजनिक मार्ग से 250 फिट की सीमा के भीतर हो तथा शासन द्वारा समय-समय निर्गत आदेश भी प्रतिबन्धित होंगे।

18—इस उपनियम के अन्तर्गत अथवा उससे सम्बन्धित कोई भी लाइसेन्स फीस उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अध्याय 8 में दी हुई रीति से जिला परिषद्, बरेली द्वारा वसूल की जा सकती है।

19—लाइसेन्स फीस निम्न प्रकार होगी :

	रु०
(1) पक्की चिमनी से चलने वाले भट्ठे	2500.00
(2) लोहे की चिमनी से चलनेवाले भट्ठे	2000.00
(3) ईंट/खपरैल से पजावे जो व्यवसाय के लिए लगाये जावें	300.00
(4) ईंट/खपरैल से पजावे जो निजी प्रयोग में लायी जायें	250.00
(5) चूना भट्ठी	200.00

20—प्रत्येक भट्ठे आदि का नवीनीकरण तभी किया जायेगा जब भट्ठा स्वामी द्वारा विगत वर्ष की बैलेन्स शीट प्रस्तुत की जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

21—प्रत्येक भट्ठे का नवीनीकरण का लाइसेन्स 30 अप्रैल तक होना अनिवार्य है उसके उपरान्त निम्नलिखित विलम्ब शुल्क देय होगा :

	रु०
(क) 1 मई से 30 जून तक	100.00
(ख) 1 जुलाई से 31 अगस्त तक	लाइसेन्स फीस का आधा
(ग) उसके उपरान्त लाइसेन्स अधिकारी अतिरिक्त विलम्ब शुल्क विवेकानुसार निर्धारित कर सकता है ।	

22—लाइसेन्स फीस काल अवधि में किसी भी समय जमा करने या ग्रहण करने पर पूर्व वर्ष के समान देय होगी ।

23—लाइसेन्स अधिकारी के आदेश की अपील आदेश मिलने के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला परिषद्, बरेली के समक्ष की जा सकेगी, जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

24—ईंट, खपरैल, चूने के भट्ठे तथा भट्ठों के मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें तो उसके विरुद्ध धारा 133, सी० आर० पी० सी० के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी ।

दण्ड

क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकार का निर्वहन करते हुए जिला परिषद, बरेली एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि इन उपनियमों में से किसी उपविधि का आंशिक अथवा पूर्णरूपेण उल्लंघन अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो 250 रु० तक हो सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के उपरान्त उल्लंघन सिद्ध हो, प्रतिदिन 10.00 रु० के अर्थदण्ड के भुगतान न करने पर कारावास से दण्डित किया जा सकता है, जो तीन मास तक हो सकता है ।

सं० 124-25/इक्कीस-2 (92-93)—जिला परिषद, बरेली ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों को पंजीकृत करने हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 239 के अन्तर्गत उपनियम बनाये हैं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । इन नवीन उपनियम की आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ने पुष्टि कर दी है :

उपविधियां

1—परिभाषायें—जिला परिषद, बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदार पंजीकरण उपविधि कहलायेगी ।

2—जिन विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद, गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग व समिति आदि के कार्यों के ठेके लेने हेतु लाइसेन्स हेतु इच्छुक व्यक्ति लाइसेन्स लेना चाहेगा, उपविधियों के अधीन पंजीकरण एवं लाइसेन्स हेतु उसे विभाग, संस्था, निगम, समिति आदि के मुख्य कार्यालय अधिकारी की संस्तुति सहित प्रार्थना-पत्र मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, बरेली को देना होगा। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी की पंजीकरण स्वीकृति के उपरान्त लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा ।

3—इस उपविधि के अन्तर्गत मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, बरेली लाइसेन्स अधिकारी होंगे ।

4—मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के लाइसेन्स अधिकारी के रूप में लाइसेन्स रद्द करने तथा अन्य कारणों से निर्गत करने के विरुद्ध आदेश निर्गत करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला परिषद, बरेली को प्रभावित व्यक्ति अपील कर सकता । अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा ।

5—ठेकेदारों का पंजीकरण करने के लिये रु० 500 वार्षिक लाइसेन्स शुल्क प्रति वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च तक वैध होगा । उसके पश्चात् ही उसका पंजीकरण लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा और तभी वह जिला परिषद, बरेली के क्षेत्र में ठेकेदारी कर सकेगा ।

6—लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिये होगा और लाइसेन्स का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष अप्रैल में कराना अनिवार्य होगा ।

7—15 जुलाई तक नवीनीकरण न कराने पर लाइसेन्स शुल्क का 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ नवीनीकरण करना होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नवीन पंजीकरण लाइसेन्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा ।

8—प्रत्येक विभाग, कम्पनी, फार्म, परिषद, निगम, गवर्नमेन्ट अन्डरटेकिंग एवं समिति जो ठेके द्वारा कार्य कराते हैं, के मुख्य कार्यालय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जब तक कोई व्यक्ति, संस्था, फार्म, कम्पनी, समिति आदि को ठेकेदार की हैसियत से अपने विभाग में पंजीकृत नहीं करेगा और कोई ठेका स्वीकृत नहीं करेगा जब तक इस उपविधि के अन्तर्गत पंजीकृत न हो ।

9—ठेकेदार के लिये लाइसेन्स हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्था, फार्म, समिति, कम्पनी आदि को यह प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह दिवालिया नहीं है और किसी विभाग द्वारा उसे काली सूची में नहीं रखा गया है ।

दण्ड

क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन करते हुये जिला परिषद, बरेली एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि इन उपविधि का आंशिक एवं पूर्णरूपेण उल्लंघन अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो रु० 250 तक हो सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध के उपरान्त उल्लंघन सिद्ध हो, प्रतिदिन 10 रु० (दस रुपये) के अर्थ दण्ड से तथा अर्थ दण्ड भुगतान न करने पर कारावास से दण्डित किया जा सकता है जो तीन मास तक हो सकता ।

आर० एन० त्रिवेदी,
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला परिषद बरेली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

धारा--15---(अ) ठेका समाप्त होने पर टाउन एरिया के हक में ठेकेदार की जमानत जब्त करेगा।

ब---ठेकेदार रजिस्टर करने के बाद ही उसे ठेका व वसूली का हकदार होगा।

स---ठेकेदार रजिस्टर के समय टाउन एरिया कमेटी के सदस्य व अन्य अधिकारी का होना जरूरी है।

शास्ति

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299(1), जो टाउन एरियाओं पर लागू है, के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके टाउन एरिया कमेटी, जसराना यह निर्देश देती है कि उपर्युक्त किसी नियम का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो 500.00 रुपया तक होगा।

राजेन्द्र भौतवाल,
जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

7 जनवरी, 1983 ई०

सं० 1427 स्थकोस--92-79-81--50 प्र० टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 14 (1) (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके टाउन एरिया कमेटी, रामपुर मनिहारान ने "जलकर नियमावली" अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु बनाई है, जिसका अन्तिम प्रकाशन पुष्टि के उपरान्त शासकीय उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक 30 अक्टूबर, 1982, भाग--3 के पृष्ठ संख्या 1074/1075 पर हो चुका है।

टाउन एरिया कमेटी, रामपुर मनिहारान ने उक्त नियमावली को अपने क्षेत्र के दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से लागू करना प्रस्तावित किया है जो सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एल० के० गुप्ता,
जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

खण्ड--छ---पंचायती राज

6 जनवरी, 1983 ई०

सं० 338-340, 21-62(80-81)---जिला परिषद्, बरेली उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवम् जिला परिषद् अधिनियम सन् 1961 की धारा 239(2) के शीर्षक "घ" के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, रक्षा एवं सुविधाओं को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन के खण्डों एवं जिले को समुन्नत करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि की दुकानों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु एवं लाइसेंस की व्यवस्था करने हेतु निम्नलिखित उपनियम प्रस्तुत हैं, जिसकी पुष्टि आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली ने कर दी है। उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं। यह उपनियम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे:

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

उपविधियां भाग--1

1---संक्षिप्त और नाम---यह उपविधियां खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन--सामग्री आदि से सम्बन्धित विनियम की उपविधियां कहलायेंगी।

2---प्रसार---यह उपविधियां बरेली जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, रेलवे सेटिलमेन्ट एरिया को छोड़ कर लागू होंगी।

3---प्रारम्भ---यह उपविधियां राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से ही बरेली जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में लागू मानी जावेंगी।

4---परिभाषा---क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम एवम् उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा विषय एवं प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर निम्नांकित शब्दों के अर्थ होंगे:---

(1) ग्रामीण क्षेत्र---ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य वही होगा जो क्षेत्र समिति--जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 2(10) में दिया गया है।

(2) (अ) दुकान---दुकान का अर्थ उस स्थान से है जहां पर खाद्य, पेय, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन सामग्री अथवा जन-उपयोग के अन्य पदार्थों की बिक्री, निर्माण मरम्मत अथवा अ ड्त होती हो अथवा (स्टोर) किये जाते हों।

(ब) स्वामी---स्वामी का अर्थ मालिक, साझेदार, एजेन्ट, मुनीम, मुंशी अथवा उस व्यक्ति से है जो किसी समय दुकान में बिक्री करने का अधिकार रखता हो।

(3) अध्यक्ष---अध्यक्ष का तात्पर्य क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 19(1) में वर्णित अध्यक्ष से है।

(4) मुख्य अधिकारी:--मुख्य अधिकारी का तात्पर्य वही है जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 39(1) में वर्णित है जिसमें अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का पद सम्मिलित माना जायेगा।

(5) कार्य अधिकारी:---कार्य अधिकारी का तात्पर्य वही है जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 39(1) में वर्णित है।

(6) कर अधिकारी:---कर अधिकारी का तात्पर्य वही जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 39(1) में वर्णित है।

(7) राजस्व निरीक्षक, कर निरीक्षक:---राजस्व निरीक्षक, कर निरीक्षक का तात्पर्य जिला परिषद् बरेली में इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति से है।

(8) लाइसेंसधारी:---लाइसेंसधारी का तात्पर्य ऐसे लाइसेंस प्राप्तकर्ता से है जिसने निर्धारित शुल्क अदा कर परिषद् से विधिवत् रीति से कार्य विशेष करने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो।

(9) प्रकाशन का दिनांक:---प्रकाशन के दिनांक का तात्पर्य इन उपविधियों के गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से है।

(10) विहित पत्र:---विहित पत्र का तात्पर्य लाइसेंस अधिकारी द्वारा विहित पत्र से है।

भाग—2

1—लाइसेंस अधिकारी:— इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ मुख्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला परिषद् का अन्य कोई अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होगा।

2—लाइसेंस अधिकारी द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन:— लाइसेंस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी जिसका पद निरीक्षक के पद से न्यून न हो लाइसेंसों पर हस्ताक्षर का अधिकार प्रतिनिहित कर सकता है। लाइसेंस अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि वह जब चाहे उन प्रतिनिहित अधिकारों को वापस ले ले।

3—लाइसेंस अधिकारी के कार्य—इन उपविधियों के अधीन लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेना एवं आवश्यकतानुसार लाइसेंस जारी करना।

4—ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर ऐसे लोगों का पता चलाना जो कि उपविधियों के विपरीत कार्य कर रहे हों। उनके विरुद्ध कार्यवाही करना।

5—इस कार्य में संलग्न अपने अधीनस्थ सेवकों पर नियंत्रण रखना, उनकी रिपोर्टों पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

उपविधियां

1—यह उपविधियां जिला परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आढ़तों, थोक, फुटकर तथा अन्य सभी प्रकार की दुकानों पर लागू होंगी। दुकानों का विवरण उपविधि की संख्या 15 में दिया गया है कोई भी व्यक्ति जिला परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवसाय जिसका विवरण निम्नांकित सूची में दिया गया है नहीं कर सकेगा, जब तक वह निर्धारित शुल्क अदा कर जिला परिषद् से तत्संबंधी लाइसेंस न प्राप्त कर ले।

2—लाइसेंस का वर्ष आर्थिक वर्ष होगा जो 1 अप्रैल से लागू होकर कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा। यदि लाइसेंस वर्ष की काल-अवधि में प्राप्त किया जायेगा तो वह भी आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जायगा।

3—जिस किसी दुकान पर खाद्य अथवा पेय अथवा अन्य किसी प्रकार की वस्तु तैयार की जाये अथवा बेची जाये, उसके स्वामी पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू होंगे :

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को दुकान में कार्य करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी संक्रामक, सांसर्गिक अथवा घृणाजनक रोग का रोगी हो, नहीं किसी ऐसे सेवक को सेवा में योजित कर सकता है जो रोगग्रस्त है।

(ख) दुकान के सभी भाग स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद होने चाहिये।

(ग) दुकान निकटतम कूड़ों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिये।

(घ) जहां तैयार किये हुये खाद्य अथवा पेय पदार्थ रखे हुये हों उनकी मक्खियों व गर्द से उचित रूप से सुरक्षा होनी चाहिये।

(ङ) निरीक्षणकर्ता को अधिकार होगा कि वह विक्रय होने वाली वस्तुओं में मिलावट का संदेह होने पर वस्तुओं का (खाद्य एवं पेय) नमूना रासायनिक परीक्षणार्थ ले सकते हैं।

इस सम्बन्ध में परिषद् का कोई अधिकारी, राजस्व निरीक्षक अथवा जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य निरीक्षक विवेक पूर्ण निर्देश देने का अधिकारी होगा जो निर्देश स्वामी को मान्य होगा।

4—प्रत्येक लाइसेंसधारी के लिये आवश्यक होगा कि वह दुकान पर एक बोर्ड लगाये जिसमें स्वामी का नाम हिन्दी अथवा उर्दू अथवा स्थानीय भाषा में लिखा हो। बोर्ड का परिमाप कम से कम 1/2 मीटर लम्बा तथा 1/6 मीटर चौड़ा होगा। रेट तथा माल की सूची भी स्वामी को टांगनी होगी।

5—प्रत्येक लाइसेंस के इच्छुक व्यक्तियों को जिला परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लाइसेंस शुल्क जैसा उपविधि के क्रमांक 15 में दिया गया है, प्रार्थना पत्र लाइसेंस अधिकारी को देना होगा।

6—लाइसेंस अधिकारी के लिये मान्य होगा कि वह प्रार्थना पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर लाइसेंस दे दे यदि वह (लाइसेंस अधिकारी) किसी प्रार्थना-पत्र को रद्द करता है तो उसके लिये आवश्यक होगा कि ऐसा करने का कारण उसके आदेश में लिपिबद्ध करें।

7—पहली बार लाइसेंस लेने वाले को लाइसेंस शुल्क के साथ तीन रुपया लाइसेंस प्रपत्र शुल्क भी अदा करना होगा।

8—यह लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिये होगा, जिसका अनुवर्तीय वर्षों में नवीनीकरण होता रहेगा।

9—जिन लाइसेंसधारियों का लाइसेंस 31 मार्च तक नवीनीकृत नहीं हो पायेगा उन्हें 30 अप्रैल तक 5 रुपया विलम्ब शुल्क देने पर नवीनीकरण कर दिया जायेगा, 30 जून तक लाइसेंस न लेने वाले को लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत धन विलम्ब शुल्क के रूप में देना होगा। लाइसेंस न लेने वालों के विरुद्ध क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अनुसार दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10—यदि किसी व्यक्ति पर इन उपविधियों के उल्लंघन के उपलक्ष्य में किया गया दावा किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो उस दशा में अध्यक्ष, जिला परिषद् को अधिकार होगा कि वह उचित समझे तो उस व्यक्ति से लाइसेंस शुल्क तथा अन्य धन (खर्चा मुकदमा) के रूप में प्राप्त कर समझौता करले और ऐसी दशा में चलाया गया दावा समाप्त कर दिया जायेगा।

11—लाइसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेंसधारी के लाइसेंस को उन कारणों के आधार पर जिसे वह अभिलिखित करेगा निलम्बित कर दे अथवा रद्द कर दे।

12—यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध हो तो उसे अधिकार होगा कि वह आदेश पारित के तीन सप्ताह के भीतर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा एतदर्थ नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष लाइसेंस अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकता है। अध्यक्ष एवं उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

13—अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य जिला परिषद्, लाइसेंस अधिकारी उनके अधीनस्थ कार्यरत राजस्व निरीक्षक, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, कार्य अधिकारी सभी को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंस और लाइसेंस से सम्बन्धित वस्तुओं का स्थानीय निरीक्षण कर सकते हैं।

14—प्रत्येक लाइसेंसधारी को निरीक्षण पुस्तिका रखना अनिवार्य होगा जिसे परिषद् निर्धारित शुल्क प्राप्त कर लाइसेंसधारी को प्रदान करेगी और उसका मूल्य पांच रुपया होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

19	पुस्तकों के व्यापारी	[illegible]	100.00
20	लेखन-सामग्री के व्यापारी	20.00	50.00
21	धाय लस्सी आदि	15.00	50.00
22	बिसात खाना	15.00	50.00
23	साइकिल के व्यापारी	10.00	50.00
24	साइकिल के मरम्मतकर्ता	50.00	100.00
25	कृषि यन्त्रों के व्यापारी	5.00	10.00
26	मरम्मत मोटर या अन्य वाहन	50.00	100.00
27	पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता	20.00	50.00
28	पम्पिंग सेट के व्यापारी	25.00	50.00
29	सब्जी, फल आदि	100.00	200.00
30	घाट	10.00	20.00
31.	पान, बीड़ी, सिग्रेट आदि	5.00	20.00
32	लाउडस्पीकर किराये पर देने हेतु	15.00	30.00
33	बारबर	50.00	75.00
34	डीजल मोबिल आयल, पेट्रोलियम तथा उनसे बने	10.00	25.00
	अन्य पदार्थ	100.00	200.00
35	विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की फेरी में बेचने हेतु		
36	आइसक्रीम, कुल्फी आदि	10.00	20.00
37	इमारती लोहे की दुकान	10.00	25.00
38	किराने की दुकान	25.00	50.00
39	मेडिकल स्टोर	25.00	50.00
40	हकीम डाक्टरी की दुकान	25.00	100.00
41	खल चिनौले की दुकान	25.00	100.00
42	मावा खोया बनाने की दुकान	15.00	25.00
43	दूध के विक्रेता	15.00	30.00
44	सीमेन्ट व खाद की दुकान	15.00	50.00
45	तांगा, टमटम बैलगाड़ी तथा इनसे आने वाली	50.00	150.00
	वस्तुओं की दुकान	10.00	20.00
46	मिट्टी के तेल विक्रेता		
47	क्रीम की दुकान (दूध निकालने वाली)	10.00	20.00
48	वह स्थान जहां क्रीम विक्रेताओं तथा क्रीम	10.00	50.00
	निकालने वाली मशीन का उपयोग होता हो	50.00	100.00
	तथा क्रीम निकले दूध का विक्रय होता हो		
49	ड्राई क्लीनर की दुकान		
50	देशी घी के विक्रेता	25.00	50.00
51	अन्य समस्त प्रकार की दुकानें जिनमें कम से कम	20.00	30.00
	एक हजार का सामान हो	10.00	20.00

नोट :—इन उपनियमों के अन्तर्गत गत लाइसेंस फीस क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अध्याय 8 में दी गई रीति से भी वसूल की जा सकती है।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त,
बरेली मंडल, बरेली।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

10 अगस्त, 1992 ई0

सं0 903-4/इक्कीस--50 (91-92)--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत जिला परिषद, बरेली के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाद्य पदार्थ, वस्त्र पुस्तक, लेखन सामग्री आदि को नियन्त्रित व नियमित करने हेतु बने उपनियम जो विज्ञप्ति संख्या 338-340/21-62 (80-81) दिनांक 6 जनवरी, 1983 द्वारा स्वीकृत किया गया है जो शासकीय गजट में प्रकाशन तिथि से स्वीकृत उपनियम के पैरा 15 में संशोधन उक्त संशोधन की पुष्टि, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ने कर दी है : स्तम्भ-2 में प्रति स्थापित शुल्क देय होगा।

उपविधि

स्तम्भ-1			स्तम्भ-2
क्रम सं0	वर्तमान शुल्क		एतद् द्वारा प्रतिस्थापित शुल्क
	भारत सरकार मान्यता प्राप्त माप एवं बाटों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री तथा अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाइसेंस देय होगा और उस पर जिस पर से शुल्क लगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है :		भारत सरकार मान्यता प्राप्त माप एवं बाटों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तक, लेखन-सामग्री तथा अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाइसेंस देय होगा और उस पर जिस पर से शुल्क लगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है :
		रु0	रु0
1	गल्ले के व्यापारी एवं आढ़ती	100.00	200.00
2	गल्ले के व्यापारी	75.00	100.00

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
क्रम संख्या		वर्तमान शुल्क	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित शुल्क
		रु0	रु0
3	गल्ले के आढ़ती	50.00	100.00
4	कपड़े के थोक व्यापारी	100.00	200. 0
5	कपड़े के व्यापारी	50.00	100.00
6	कपड़े के फुटकर व्यापारी	25.00	75.00
7	परचूनी की दुकान	20.00	50.00
8	हलवाई या मीठा सामान के विक्रेता	25.00	50.00
9	होटल एवं ढाबा	50.00	200.00
10	इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी	100.00	200.00
11	इमारती लकड़ी के व्यापारी	75.00	100.00
12	लकड़ी के फरनीचर के व्यापारी	75.00	100.00
13	ईंधन जलाने वाली लकड़ी की दुकान	15.00	50.00
14	चमड़े तथा चमड़े के जूते की दुकान	25.00	50.00
15	प्लास्टिक व कपड़े के जूते की दुकान	20.00	50.00
16	बर्तन के व्यापारी	25.00	50.00
17	सोने चांदी के गहनों के मरम्मतकर्ता	15.00	50.00
18	सोने चांदी के व्यापारी	50.00	100.00
19	पुस्तकों के व्यापारी	20.00	50.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 16 जून, 2001 ई० (ज्येष्ठ 26, 1921 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगर पालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत

खण्ड-घ—जिला पंचायत

30 अप्रैल, 2001 ई०

सं० 1443-44/21-54/2000-01—क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम [illegible] 239 (2) के अन्तर्गत ईंट, खपरैल, चूने के भट्ठों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने [illegible] जो आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा स्वीकृत एवं प्रचलित है, को पैरा-10 का [illegible] संशोधन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 "यथासंशोधित" की [illegible] अनुसार प्रकाशन एवं नियत प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

क्रम-संख्या	नाम व्यवसाय	वर्तमान फीस
1	2	3
		रु०
1	पक्की चिमनी से चलने वाले भट्ठे	2,500.00
2	कोहू की चिमनी	2,000.00
3	ईंट खपरैल पजावा	300.00
4	ईंट, खपरैल निजी प्रयोग हेतु	250.00
5	चूना भट्ठी, कोयला भट्ठी	250.00
6	कोक ब्रिक आदि भट्ठी	—

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

क्रम-सं०		वर्तमान शुल्क स्तम्भ-1	प्रतिस्थापित शुल्क स्तम्भ-2
1		2	3
		रु0	रु0
1	गल्ले के व्यापारी एवम् आढ़ती	300.00	500.00
2	गल्ले के व्यापारी	100.00	250.00
3	गल्ले के आढ़ती	100.00	300.00
4	कपड़े के थोक व्यापारी	200.00	500.00
5	कपड़े के व्यापारी	100.00	250.00
6	कपड़े के फुटकर व्यापारी	75.00	150.00
7	परचूनी की दुकान	60.00	100.00
8	हलवाई या मीठा सामान बिक्रेता	50.00	100.00
9	होटल एवं ढाबा	200.00	250.00
10	इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी	200.00	500.00
11	इमारती लकड़ी के व्यापारी	100.00	200.00
12	लकड़ी के फर्नीचर के व्यापारी	100.00	250.00
13	ईंधन जलाने की लकड़ी	60.00	100.00
14	चमड़े तथा कपड़े के जूते की दुकान	50.00	100.00
15	प्लास्टिक व कपड़े के जूते की दुकान	50.00	100.00
16	बर्तन के व्यापारी	50.00	200.00
17	सोने चांदी के गहनों की मरम्मत	50.00	100.00
18	सोने चांदी के व्यापारी	100.00	300.00
19	पुस्तकों के व्यापारी	50.00	200.00
20	लेखन सामग्री व्यापारी	50.00	100.00
21	चाय, लस्सी आदि	50.00	100.00
22	बिसातखाना	50.00	100.00
23	साईकिल के व्यापारी	100.00	200.00
24	साईकिल मरम्मतकर्ता	20.00	50.00
25	कृषि यंत्रों के व्यापारी	100.00	200.00
26	मरम्मत मोटर या अन्य वाहन	50.00	200.00
27	पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता	50.00	200.00
28	पम्पिंग सेट के व्यापारी	200.00	500.00
29	फल सब्जी आदि	20.00	50.00
30	चाट	20.00	50.00
31	पान, बीड़ी, सिगरेट आदि	30.00	50.00
32	लाउडस्पीकर किराये पर देने हेतु	75.00	150.00
33	बारबर	25.00	100.00
34	(अ) पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प	200.00	1000.00
	(ब) डीजल/मिट्टी तेल/मोबिल	200.00	500.00
5	आइसक्रीम, कुल्फी आदि	25.00	50.00
	इमारती लोहे की दुकान	50.00	200.00
	किराये की दुकान	50.00	100.00
	मेडीकल स्टोर	100.00	200.00
	हकीम डाक्टरों की दुकान	100.00	200.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

		वर्तमान शुल्क स्तम्भ-1	प्रस्तावित दर
40	खेल, खिलौने की दुकान	रु0	रु0
41	मावा-खोया बनाने की दुकान	25.00	100.00
42	दूध के बिक्रेता	30.00	100.00
43	सीमेन्ट की दुकान	50.00	100.00
44	खाद की दुकान	150.00	250.00
45	बोगी, टमटम, बैलगाड़ी तथा इनसे जाने वाली	150.00	250.00
	वस्तुओं की दुकान	20.00	100.00
46	सीमेन्ट व खाद की दुकान		
47	मिट्टी तेल के विक्रेता	150.00	700.00
48	क्रीम की दुकान (दूध निकालनेवाली)	20.00	200.00
49	वह स्थान जहाँ क्रीम बिक्रेताओं तथा क्रीम	50.00	200.00
	निकालनेवाली मशीन का उपयोग होता हो	100.00	250.00
	तथा क्रीम निकाले दूध का विक्रय होता हो		
50	ड्राईक्लीनर की दुकान		
51	देशी घी के बिक्रेता	50.00	100.00
52	प्राबिजन/डिपार्टमेन्टल स्टोर	30.00	100.00
53	मोटर/स्पेयरपार्ट् स	..	200.00
54	टेलर	..	200.00
55	धर्मकाटा	..	100.00
56	कोल्डस्टोर	..	750.00
57	चलचित्र	..	1000.00
58	खराद मशीन	..	750.00
59	टेन्ट हाउस	..	500.00
60	बर्फ मशीन	..	500.00
61	अन्य समस्त प्रकार की दुकानें जिसमें कम से कम	..	250.00
	1000.00 का सामान हो	..	100.00

अमल कुमार वर्मा
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली

कार्यालय, आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

23 मार्च, 2002 ई0

सं0 1150/23-54-2000--उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित अधिनियम, 1994 की धारा 239 (1) के अन्तर्गत जिला पंचायत फतेहपुर द्वारा जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में शुल्क का निर्धारण करते हुए उपविधि बनायी गयी है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा कर दी है, जिसे गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

परिभाषा--यह उपविधि जिला पंचायत की अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण शुल्क निर्धारण उपविधि के नाम से जानी जायेगी।

जिला पंचायत अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत 1961 यथा संशोधित 1994 से

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

... निम्न प्रकार होंगे:--

क्रम सं0	मद	धनराशि
1	2	3
		रु0
1	ट्रांसपोर्टर दो या दो से अधिक वाहनों के लिए	2,000.00
2	बस/ट्रक	1,000.00
3	मिनीबस/मेटाडोर/ट्रैक्टर ट्राली	750.00
4	टैक्सी, रिक्शा, थ्री व्हीलर	500.00
5	एजेन्सी	1,000.00
6	कमीशन एजेन्ट (अ) व्यक्तिगत	500.00
	(ब) फर्म/संस्था	1,000.00
7	नदी/नाले का ठेका, चूना, रेता, बजरी, पत्थर आदि निश्चित सीमा	1,000.00
8	सभी प्रकार के सप्लायर	1,000.00
9	प्रापर्टी डीलर तथा एजेन्ट	2,000.00
10	अंग्रेजी/देशी शराब की दुकान	5,000.00
11	देशी शराब व अन्य नशीले पदार्थों के ठेके लेने तथा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार की अनुज्ञप्तिधारी निगम	2,000.00
12	भांग के ठेकेदार	2,000.00
13	देशी शराब के ठेके लेने वाले व्यक्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क	1,000.00

(9) लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष [illegible] अप्रैल से 31 मार्च तक होगी और [illegible] 30 जून नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, [illegible] 50% प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा करना होगा [illegible] वर्ष तक नवीनीकरण न कराने की दशा में [illegible] विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त लाइसेन्सधारी द्वारा [illegible] अर्थदण्ड जमा करने के उपरान्त ही लाइसेन्स का [illegible] करण किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला [illegible] अधिनियम, 1994 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बरेली [illegible] कि उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने पर [illegible] कर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर (एक हजार रुपया) 1,000 रु0 तथा अर्थदण्ड लिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के [illegible] जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो, रुपया 50.00 (पचास) प्रतिदिन की दर से जुर्माना लिया जा सकता है और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह का [illegible] कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

अ० [illegible] कुमार [illegible],
आयुक्त,
बरेली मंडल, बरेली

19 मार्च, 2002 ई0

सं0 691-92/XXI-53 (2000-01)---क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की दुकानों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु एवं लाइसेंस की व्यवस्था करने हेतु बनाये गये उपनियम जो आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित हैं, के पैरा 15 को अतिक्रमित करते हुए निम्नवत् संशोधन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 "यथासंशोधित" की धारा 242 (2) के अनुसार प्रकाशन एवं [illegible] अधिकार की स्वीकृति उपरान्त गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे--

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विथाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 19 मई, 2001 ई० (वैशाख 29, 1923 शक संवत्)

भाग 3

खण्ड—६"-जिला पंचायत

19 मार्च, 2001 ई०

सं0 1164–65/इक्कीस–44––(2000–01)––बाजार ाशा अथवा पशु प्रदर्शनी को नियमित व नियंत्रित करने बनाये गये उपनियम, जो आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ा स्वीकृत एवम प्रचलित है, के पैरा 15 को ·क्रमित करते हुए निम्नवत संशोधन उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम, 1961 "यथा संशोधित" की ा 242 (2) के अनुसार प्रकाशन एवं नियत प्राधिकारी स्वीकृति उपरान्त गजट में प्रकाशन की तिथि से होंगे ।

15––प्रत्येक लाईसेन्स की फीस निम्न प्रकार होगी–

ा सं०	नाम व्यवसाय	वर्तमान फीस	लाइसेन्स फीस
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	नखास बाजार	500.00	2500.00
2	नखास	500.00	1000.00
3	बाजार	250.00	500.00
4	पशु प्रदर्शनी	200.00	500.00
5	गुर्गी मिर्च	100.00	100.00
6	ठेकेदारी	200.00	500.00

अमल कुमार वर्मा,
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

1[illegible] अप्रैल, 1993 ई०

[illegible]–62 (80–81)—जिला परिषद्, [illegible] क्षेत्र में स्थित बाजार, नखासा [illegible] को नियमित व नियंत्रित करने [illegible] जिला परिषदें, अधिनियम, 1961 (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधित [illegible] स्वीकृत उपनियम विज्ञप्ति संख्या [illegible] (80–81), दिनांक 14 अप्रैल, 1982 [illegible] राजकीय गजट में प्रकाशन की [illegible]। इस संशोधित उपनियम की [illegible] से पुष्टि कर दी है :

संशोधित उपनियम

[illegible] जिला बरेली के अन्तर्गत लगने [illegible] तथा पशु–प्रदर्शनी हेतु नियम

[illegible] जिला परिषद्, बरेली के ग्रामीण बाजार, नखासा अथवा पशु–प्रदर्शनी पर [illegible] वह प्राइवेट, ग्राम सभा, संस्था या

[illegible] के प्रयोजनार्थ परिभाषा निम्न प्रकार

[illegible]—वह स्थान जहां पशुओं का क्रय–विक्रय [illegible] किये जायें।

[illegible]—वह स्थान जहां पशुओं से [illegible] अनाज, सब्जी आदि मानव के दैनिक [illegible] हेतु क्रय–विक्रय हो अथवा इस हेतु [illegible]।

[illegible] जहां पशु प्रदर्शित किये जावें तथा [illegible] जायें।

[illegible], कम्पनी, संस्था अथवा समिति कोई [illegible] पशु–प्रदर्शनी अथवा बाजार स्थापित न [illegible] न उगाही करेगा जब तक वह जिला [illegible] लाइसेंस प्राप्त न कर ले।

[illegible], पशु–प्रदर्शनी, बाजार के स्वामी, मुन्शी; [illegible] व्यक्ति जो महसूल लेता हो अथवा [illegible], लाइसेन्स लेने का उत्तरदायी होगा।

[illegible] परिषद्, बरेली के मुख्य अधिकारी, अपर [illegible] लाइसेन्स अधिकारी होंगे और अध्यक्ष, [illegible] सामान्य नियंत्रण में कार्य करेंगे। [illegible] के आदेश की अपील आदेश के [illegible] अध्यक्ष को हो सकेगी और [illegible] होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला परिषद बरेली

7—किसी नवीन नखासा की अनुमति देने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक का मत लिया जायगा और उनके प्रशासनिक दृष्टि से कोई आपत्ति हुई तो लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा।

8—नखासा, पशु प्रदर्शनी अथवा बाजार लगाने वाले को प्रार्थना–पत्र एक प्रारूप पर देना होगा जिसको स्वयं जिला परिषद आवंटित करेगी और जिसका मूल्य 10 रु० होगा।

9—(अ) आवेदन के साथ आवेदक को बाजार–नखासा; पशु प्रदर्शनी के स्थल का [illegible] खसरा–खतौनी की प्रतियां तथा स्वामित्व का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(ब) दो किलोमीटर की परिधि में नवीन बाजार–नखासा का लाइसेन्स एक ही दिन देय नहीं होगा।

10—नखासा, पशु प्रदर्शनी तथा बाजार के स्वामी, प्रबन्धक, मुन्शी, संस्था को निम्न प्रबन्ध करना अनिवार्य है :—

(क) बाजार–नखासा में आने वाले व्यक्तियों, व्यापारियों हेतु पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य है।

(ख) नखासा के समय में पशुओं को पानी पिलाने की समुचित व्यवस्था।

(ग) बाजार–नखासा, पशु प्रदर्शनी के स्थान पर सफाई की समुचित व्यवस्था और कीटनाशक द्रव्य का [illegible] पर प्रयोग किया जाये।

(घ) [illegible] के बैठने की समुचित व्यवस्था तथा छाया का प्रबन्ध।

(च) यातायात सुलभ रूप से होना चाहिये।

(छ) आग बुझाने की समुचित व्यवस्था; नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप।

(ज) हलवाई; पान–वाले, कार्यकर्ताओं को [illegible] के प्राविधानों का पालन अनिवार्य होगा।

11—बाजार–नखासा स्वामी, प्रबन्धक आदि को एक व्यापारियों का पंजीकृत रजिस्टर रखना होगा जिसका प्रारूप लाइसेन्स अधिकारी निर्धारित करेगा।

12—जिला परिषद अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारी, जिसका पद निरीक्षक के पद से निम्न न होगा तथा परिषद सदस्य आदि प्रबन्ध का निरीक्षण कर सकते हैं।

जिला परिषद, बरेली बाजार नखासा अथवा पशु प्रदर्शनी में खरीदार व बेचने वाले के मध्य [illegible]

अपर मुख्य अ[illegible]

स्थापित करने व क्रय-विक्रय के लिये दलाल को लाईसेंस देगा । वह दलाल निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होंगे :--

(अ) दलालों का लाईसेंस लेने वाला व्यक्ति 60.00 रु० प्रतिवर्ष लाईसेंस फीस जिला परिषद, बरेली को जमा करेगा ।

(ब) लाईसेंस लेने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 20 वर्ष की होगी, वह सदस्य भलामानस होगा व किसी अदालती अपराध का दण्डित न होगा ।

(स) जिला परिषद, दलालों की संख्या को आवश्यकतानुसार नियत करेगी तथा लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति को जिला बरेली के समस्त ग्रामीण बाजारों, पशु प्रदर्शनी व दलालों का कार्य करने की अनुमति होगी ।

(द) ऐसे दलालों को जिला परिषद पहचान का बिल्ला देगी जिसको दलाल अपने जिस्म के ऐसे हिस्से पर लगायेगा जो दर्शनीय होगा ।

(य) ऐसे दलालों का अधिकार होगा कि वह दलाली की नीचे लिखी फीस खरीदार व बेचने वाले से वसूल [illegible]

(1) 25 रुपया माल की बिक्री पर एक रुपया [illegible]

(2) 26 से 50 रुपये के माल की बिक्री पर दो रुपये ।

(3) 51 से 100 रुपये के माल तक की बिक्री पर दो रुपये ।

(4) 101 रुपये से अधिक बिक्री पर 3 प्रतिशत लेगा ।

13--लाईसेन्स के किसी शर्त की पाबन्दी न होने की दशा में मुख्य अधिकारी लाईसेन्स अधिकारी को दण्ड खंड के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त लाईसेन्स को रद्द करने व स्थगित करने का अधिकार होगा ।

14--लाईसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक होगी, यदि निर्धारित लाईसेंस शुल्क किसी भी समय पर कार्य दलाली का शुरू करने पर सम्पूर्ण वर्ष के समान ही देय होगा ।

15--प्रत्येक स्वीकृत लाइसेन्स की फीस निम्न प्रकार होगी :--

क्र० सं०	नाम व्यवसाय	संशोधित लाईसेन्स फीस जो शासकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात प्रभावी होगी
1	2	3
		रु०
1	नखासा	500.00
2	बाजार	250.00
3	पशु प्रदर्शनी	200.00
4	मुर्गी गिरी	100.00
5	ठेकेदारी	200.00

16--इस विषय पर यदि किसी [illegible] समिति उपविधियां होंगी तो वह उपविधियां के [illegible] होने की तिथि से निरस्त समझी जायेंगी ।

17--पुराने लाइसेंस का 31 मार्च तक [illegible] कराना अनिवार्य होगा इसके उपरान्त [illegible] जमा करना होगा--

(1) 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक [illegible]

(2) इसके उपरान्त 31 मई तक [illegible] जायेगा ।

(3) इसके उपरान्त अवधि [illegible] यह निर्धारित राशि किसी भी दशा में [illegible] नहीं होगा ।

18--इन उपविधियों के अन्तर्गत [illegible] समिति जिला परिषद् अधिनियम, 1961 [illegible] की गई रीति से वसूल की जा सकती है ।

दण्ड

जिला परिषद् ऐक्ट की धारा [illegible] अधिकारों का प्रयोग करते हुए बरेली, जिला [illegible] आदेश देती है कि किसी भी उपविधि [illegible] अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो रुपया ~~[illegible]~~ 1000.00 तक [illegible] है जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो [illegible] से दण्डनीय होगा । प्रथम अपराध सिद्ध होने [illegible] प्रत्येक दिन के लिए जिसमें बारे में सिद्ध [illegible] अपराध करता रहा है, ~~10.00~~ 100.00 रुपया [illegible] सकता है । यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जायेगा तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन मास तक हो सकेगा ।

आर० एन० त्रिवेदी,
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली ।

8 अप्रैल, 1993 ई०

सं० 169/इयकोस-10 (92-93)--जिला परिषद, अल्मोड़ा ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 239(2)(घ) के अधीन, [illegible] भोजन विक्रय आदि पर लाभकर व्यापार [illegible] अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में [illegible] के तैयार करने या विक्रय तथा दुकानों को [illegible] विनियमित करने के लिये उपविधि जो [illegible] 5000/21-83, दिनांक 20 सितम्बर, 1975 [illegible] सं० ए-8906/21-3 (83-84), दिनांक 1 [illegible] 1984 द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित हुए हैं, [illegible] दरों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं, जिनकी पुष्टि

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

[illegible] (ब) [illegible] [illegible] अधिनियम [illegible]

[illegible]

[illegible] होगा।

[illegible] टाउन एरिया [illegible] अधिकारी का होना [illegible] है।

शास्ति

[illegible] म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299(1), को टाउन एरियाओं पर [illegible] के द्वारा प्रदत्त [illegible] का प्रयोग करके टाउन एरिया कमेटी, [illegible] यह निर्देश देती है कि [illegible] उपर्युक्त किसी नियम का उल्लंघन करने पर [illegible] दंड दिया जायेगा जो 500.00 रुपया तक होगा।

राजेन्द्र [illegible],
जिला मजिस्ट्रेट, [illegible]।

[illegible] जनवरी, 1983 ई०

सं० 1427 [illegible]--92-79-81--30 प्र० टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 14 (1) (ख) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके टाउन एरिया कमेटी, रामपुर मनिहारान ने "[illegible] नियमावली" अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु बनाई है, जिसका अंतिम प्रकाशन पुष्टि के उपरान्त शासकीय उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक 30 अक्टूबर, 1982, भाग-3 के पृष्ठ संख्या 1074/1075 पर हो चुका है।

टाउन एरिया कमेटी, रामपुर मनिहारान ने उक्त नियमावली को अपने क्षेत्र में दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से लागू करना प्रस्तावित किया है जो सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एल० के० गुप्ता,
जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

खण्ड--घ--पंचायती राज

6 जनवरी, 1983 ई०

सं० 338-340 21-6-(80-81)--जिला परिषद्, बरेली उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवम् जिला परिषद् अधिनियम सन् 1961 की धारा 239(2) के शीर्षक "घ" के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य रक्षा एवं सुविधाओं को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन के उद्देश्यों एवं जिले को समुन्नत करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि की दुकानों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु एवं लाइसेंस की व्यवस्था करने हेतु निम्नलिखित उपनियम प्रस्तुत [illegible] है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली ने कर दी है। उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के [illegible] प्रकाशित किये जाते हैं। यह उपनियम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे:

उपविधियां भाग--1

1--संक्षिप्त नाम--यह उपविधियां खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि से सम्बन्धित विनियम की उपविधियां कहलायेंगी।

2--प्रसार--यह उपविधियां बरेली जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र [illegible] नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, कैन्टोनमेंट [illegible] पर लागू होंगी।

3--प्रारम्भ--यह उपविधियां राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ही बरेली जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में लागू मानी जायेंगी।

4--परिभाषा--क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम एवम् उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा विषय एवं प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर निम्नांकित शब्दों के अर्थ होंगे:--

(1) ग्रामीण क्षेत्र--ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य वही होगा जो क्षेत्र समिति--जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 2(10) में दिया गया है।

(2) (अ) दुकान--दुकान का अर्थ उस स्थान से है जहां पर खाद्य, पेय, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन सामग्री अथवा अन्य उपयोग के अन्य पदार्थों की बिक्री, निर्माण मरम्मत अथवा [illegible] होती हो अथवा (स्टोर) किये जाते हों।

(ब) स्वामी--स्वामी का अर्थ मालिक, साझेदार, एजेन्ट, मुनीम, मुंशी अथवा उस व्यक्ति से है जो किसी समय दुकान में बिक्री करने का अधिकार रखता हो।

(3) अध्यक्ष--अध्यक्ष का तात्पर्य क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 19(1) में वर्णित अध्यक्ष से है।

(4) मुख्य अधिकारी--मुख्य अधिकारी का तात्पर्य वही है जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 39(1) में वर्णित है जिसमें अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का पद सम्मिलित माना जायेगा।

(5) कार्य अधिकारी--कार्य अधिकारी का तात्पर्य वही है जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 39(1) में वर्णित है।

(6) कर अधिकारी--कर अधिकारी का तात्पर्य वही जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 39(1) में वर्णित है।

(7) राजस्व निरीक्षक, कर निरीक्षक--राजस्व निरीक्षक, कर निरीक्षक का तात्पर्य जिला परिषद् बरेली में इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति से है।

(8) लाइसेंसधारी--लाइसेंसधारी का तात्पर्य ऐसे लाइसेंस प्राप्तकर्ता से है जिसने निर्धारित शुल्क अदा कर परिषद् से विधिवत रीति से कार्य विशेष करने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो।

(9) प्रकाशन का दिनांक--प्रकाशन के दिनांक का तात्पर्य इन उपविधियों के गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से है।

(10) विहित पत्र--विहित पत्र का तात्पर्य लाइसेंस अधिकारी द्वारा विहित पत्र से है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

भाग-2

1—लाइसेंस अधिकारी:— इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ मुख्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला परिषद् का अन्य कोई अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होगा।

2—लाइसेंस अधिकारी द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन:— लाइसेंस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी जिसका पद निरीक्षक के पद से न्यून न हो लाइसेंसों पर हस्ताक्षर का अधिकार प्रतिनिहित कर सकता है। लाइसेंस अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि वह जब चाहे उन प्रतिनिहित अधिकारों को वापस ले ले।

3—लाइसेंस अधिकारी के कार्य—इन उपविधियों के अधीन लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेना एवं आवश्यकतानुसार लाइसेंस जारी करना।

4—ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर ऐसे लोगों का पता चलाना जो कि उपविधियों के विपरीत कार्य कर रहे हों। उनके विरुद्ध कार्यवाही करना।

5—इस कार्य में संलग्न अपने अधीनस्थ सेवकों पर नियंत्रण रखना, उनकी रिपोर्टों पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

उपविधियां

1—यह उपविधियां जिला परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आढ़तों, थोक, फुटकर तथा अन्य सभी प्रकार की दुकानों पर लागू होंगी। दुकानों का विवरण उपविधि की संख्या 15 में दिया गया है कोई भी व्यक्ति जिला परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवसाय जिसका विवरण निम्नांकित सूची में दिया गया है नहीं कर सकेगा, जब तक वह निर्धारित शुल्क अदा कर जिला परिषद् से तत्संबंधी लाइसेंस न प्राप्त कर लें।

2—लाइसेंस का वर्ष आर्थिक वर्ष होगा जो 1 अप्रैल से लागू होकर कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा। यदि लाइसेंस वर्ष की काल-अवधि में प्राप्त किया जायेगा तो वह भी आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जायगा।

3—जिस किसी दुकान पर खाद्य अथवा पेय अथवा अन्य किसी प्रकार की वस्तु तैयार की जाये अथवा बेची जाये, उसके स्वामी पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू होंगे:

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को दुकान में कार्य करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी संक्रामक, सांसर्गिक अथवा घृणात्मक रोग का रोगी हो, न ही किसी ऐसे सेवक को सेवा में योजित कर सकता है जो रोगग्रस्त है।

(ख) दुकान के सभी भाग स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद होने चाहिये।

(ग) दुकान निकटतम कूड़ों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिये।

(घ) वहां तैयार किये हुये खाद्य अथवा पेय पदार्थ रखे हुये हों उनको मक्खियों व गर्द से उचित रूप से सुरक्षा होनी चाहिये।

(ङ) निरीक्षणकर्ता को अधिकार होगा कि वह विक्रय होने वाली वस्तुओं में मिलावट का संदेह होने पर वस्तुओं का (खाद्य एवं पेय) नमूना रासायनिक परीक्षणार्थ ले सकते हैं।

इस सम्बन्ध में परिषद् का कोई अधिकारी, राजस्व निरीक्षक अथवा जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य निरीक्षक विशेष पूर्ण निर्देश देने का अधिकारी होगा जो निर्देश स्वामी को मान्य होगा।

4—प्रत्येक लाइसेंसधारी के लिये आवश्यक होगा कि वह दुकान पर एक बोर्ड लगाये जिसमें स्वामी का नाम हिन्दी अथवा उर्दू अथवा स्थानीय भाषा में लिखा हो। बोर्ड की परिमाप कम से कम 1/2 मीटर लम्बा तथा 1/6 मीटर चौड़ा होगा। रेट तथा स्टाक की सूची भी स्वामी को टांगनी होगी।

5—प्रत्येक लाइसेंस के इच्छुक व्यक्तियों को जिला परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लाइसेंस शुल्क जैसा उपविधि के क्रमांक 15 में दिया गया है, प्रार्थना पत्र लाइसेंस अधिकारी को देना होगा।

6—लाइसेंस अधिकारी के लिये मान्य होगा कि वह प्रार्थना पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर लाइसेंस दे दे यदि वह (लाइसेंस अधिकारी) किसी प्रार्थना-पत्र को रद्द करता है तो उसके लिये आवश्यक होगा कि ऐसा करने का कारण उसके स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध करें।

7—पहली बार लाइसेंस लेने वाले को लाइसेंस शुल्क के साथ तीन रुपया लाइसेंस प्रपत्र शुल्क भी जमा करना होगा।

8—यह लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिये होगा, जिसका अनुवर्तीय वर्षों में नवीनीकरण होता रहेगा।

9—जिन लाइसेंसधारियों का लाइसेंस 31 मार्च तक नवीनीकृत नहीं हो पायेगा उन्हें 30 अप्रैल तक 5 रुपया विलम्ब शुल्क देने पर नवीनीकरण कर दिया जायेगा, 30 जून तक लाइसेंस न लेने वाले को लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत धन विलम्ब शुल्क के रूप में देना होगा। लाइसेंस न लेने वालों के विरुद्ध क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10—यदि किसी व्यक्ति पर इन उपविधियों के उल्लंघन के उपलक्ष्य में किया गया वाद किसी न्यायालय के विचाराधीन हो तो उस दशा में अध्यक्ष, जिला परिषद् को अधिकार होगा कि वह उचित समझे तो उस व्यक्ति से लाइसेंस शुल्क तथा अन्य धन (खर्चा मुकदमे) के रूप में प्राप्त कर समझौता करले और ऐसी दशा में चलाया गया वाद समाप्त कर दिया जायेगा।

11—लाइसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेंसधारी के लाइसेंस को उन कारणों के आधार पर जिसे वह अभिलिखित करेगा निलम्बित कर दे अथवा रद्द कर दे।

12—यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध हों तो उसे अधिकार होगा कि वह आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा एतदर्थ नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष लाइसेंस अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकता है। अध्यक्ष एवं उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

13—अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य जिला परिषद्, लाइसेंस अधिकारी उनके अधीनस्थ कार्यरत राजस्व निरीक्षक, कर निरीक्षक, कर अधिकारी कार्य अधिकारी सभी को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंस और लाइसेंस से सम्बन्धित वस्तुओं का स्थानीय निरीक्षण कर सकते हैं।

14—प्रत्येक लाइसेंसधारी को निरीक्षण पुस्तिका रखना अनिवार्य होगा जिसे परिषद् निर्धारित मूल्य प्राप्त कर लाइसेंसधारी को प्रदान करेगी और उसका मूल्य प्रतिवर्ष देना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

10 अगस्त, 1992 ई0

सं0 903-4/इक्कीस--50 (91-92)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत जिला परिषद, बरेली के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि को नियन्त्रित व नियमित करने हेतु बने उपनियम जो विज्ञप्ति संख्या 338-340/21-62 (80-81) दिनांक 6 जनवरी, 1983 द्वारा स्वीकृत किया गया है जो शासकीय गजट में प्रकाशन तिथि से स्तम्भ-2 में प्रति स्थापित शुल्क देय होगा। उपनियम के पैरा 15 में संशोधन उक्त संशोधन की पुष्टि, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ने कर दी है :

उपविधि

स्तम्भ-1			स्तम्भ-2
क्रम सं0	वर्तमान शुल्क		एतद् द्वारा प्रतिस्थापित शुल्क
	भारत सरकार मान्यता प्राप्त माप एवं बाटों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री तथा अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाइसेंस देय होगा और उस पर जिस दर से शुल्क लगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है :		भारत सरकार मान्यता प्राप्त माप एवं बाटों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तक, लेखन-सामग्री तथा अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाइसेंस देय होगा और उस पर जिस दर से शुल्क लगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है :
		रु0	रु0
1	गल्ले के व्यापारी एवं आढ़ती	100.00	200.00
2	गल्ले के व्यापारी	75.00	100.00

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
क्रम संख्या		वर्तमान शुल्क	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित शुल्क
		रु0	रु0
3	गल्ले के आढ़ती	50.00	100.00
4	कपड़े के थोक व्यापारी	100.00	200.0
5	कपड़े के व्यापारी	50.00	100.00
6	कपड़े के फुटकर व्यापारी	25.00	75.00
7	परचूनी की दुकान	20.00	50.00
8	हलवाई या मीठा सामान के विक्रेता	25.00	50.00
9	होटल एवं ढाबा	50.00	200.00
10	इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी	100.00	200.00
11	इमारती लकड़ी के व्यापारी	75.00	100.00
12	लकड़ी के फरनीचर के व्यापारी	75.00	100.00
13	ईंधन जलाने वाली लकड़ी की दुकान	15.00	50.00
14	चमड़े तथा चमड़े के जूते की दुकान	25.00	50.00
15	प्लास्टिक व कपड़े के जूते की दुकान	20.00	50.00
16	बर्तन के व्यापारी	25.00	50.00
17	सोने चांदी के गहनों के मरम्मतकर्ता	15.00	50.00
18	सोने चांदी के व्यापारी	50.00	100.00
19	पुस्तकों के व्यापारी	20.00	50.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

19	पुस्तकों के व्यापारी	20.00	50.00
20	लेखन-सामग्री के व्यापारी	15.00	50.00
21	घाम लस्सी आदि	15.00	50.00
22	बिसात खाना	10.00	50.00
23	साइकिल के व्यापारी	50.00	100.00
24	साइकिल के मरम्मतकर्ता	5.00	10.00
25	कृषि यन्त्रों के व्यापारी	50.00	100.00
26	मरम्मत मोटर या अन्य वाहन	20.00	50.00
27	पम्पिग सेट के मरम्मतकर्ता	25.00	50.00
28	पम्पिग सेट के व्यापारी	100.00	200.00
29	सब्जी, फल आदि	10.00	20.00
30	घाट	5.00	20.00
31.	पान, बीड़ी, सिग्रेट आदि	15.00	30.00
32	लाउडस्पीकर किराये पर देने हेतु	50.00	75.00
33	बारबर	10.00	25.00
34	डीजल मोबिल आयल, पेट्रोलियम तथा उनसे बने अन्य पदार्थ	100.00	200.00
35	विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को फेरी में बेचने हेतु	10.00	20.00
36	आइसक्रीम, कुल्फी आदि	10.00	25.00
37	इमारती लोहे की दुकान	25.00	50.00
38	किराने की दुकान	25.00	50.00
39	मेडिकल स्टोर	25.00	100.00
40	हकीम डाक्टरी की दुकान	25.00	100.00
41	खल बिनौले की दुकान	15.00	25.00
42	मावा खोया बनाने की दुकान	15.00	30.00
43	दूध के विक्रेता	15.00	30.00
44	सीमेन्ट व खाद की दुकान	50.00	150.00
45	तांगा, टमटम बैलगाड़ी तथा इनसे आने वाली वस्तुओं का दुकान	10.00	20.00
46	मिट्टी के तेल विक्रेता	10.00	20.00
47	क्रीम की दुकान (दूध निकालने वाली)	10.00	50.00
48	वह स्थान जहां क्रीम विक्रेताओं तथा क्रीम निकालने वाली मशीन का उपयोग होता हो तथा क्रीम निकाले दूध का विक्रय होता हो	50.00	100.00
49	ड्राई क्लीनर की दुकान	25.00	50.00
50	देशी घी के विक्रेता	20.00	30.00
51	अन्य समस्त प्रकार की दुकानें जिनमें कम से कम एक हजार का सामान हो	10.00	20.00

नोट :—इन उपनियमों के अन्तर्गत गत लाइसेंस फीस क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अध्याय 8 में दी गई रीति से भी वसूल की जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

प्रदीप कुमार,
आयुक्त,
बरेली मंडल, बरेली।

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्लू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 1 जून, 2002 ई० (ज्येष्ठ 11, 1924 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र; खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्; खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड—घ—जिला पंचायत,

19 मार्च, 2002 ई०

सं० 689-90/XXI-54 (2000-2001)—जिला पंचायत, बरेली में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतें विधि संशोधन अधिनियम 1994 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बरेली अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले ट्रान्सपोर्ट, बस, ट्रक, टैक्सी, मिनी ट्रक, जीप, जिप्सी, विक्रम, मेटाडोर, थ्री व्हीलर एजेन्सी, एजेन्ट, प्रापर्टी डीलर, आबकारी देशी/अंग्रेजी शराब की दुकानें व ठेके के व्यवसाय को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनाई हैं।

उपविधियां

(1) यह उपविधियां व्यक्ति, संस्थान, निगम, सहकारी समितियां, श्रम संविदा सहकारी समितियां, ट्रान्सपोर्टर बस, ट्रक, मिनी ट्रक, मेटाडोर, जीप, जिप्सी, टैक्सी, विक्रम थ्री व्हीलर एजेन्सी, प्रापर्टी डीलर, आबकारी/देशी/अंग्रेजी शराब की दुकान ठेके से सम्बन्धित उपविधियां कहलाई जावेंगी तथा उ० प्र० के राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्थान, कम्पनी आदि प्रस्तर (1) में उल्लिखित व्यवसाय जनपद बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक नहीं कर सकती; जब तक कि उनके द्वारा उक्त व्यवसाय लाइसेन्स जिला पंचायत, बरेली से प्राप्त न कर लिया गया हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति, फर्म, ट्रान्सपोर्ट आदि तदसम्बन्धी कार्यों हेतु पंचायत का लाइसेन्सधारी नहीं है, तो उसको कोई विभाग कम्पनी, फर्म, परिषद्, निगम, परमिट अन्डर-टेकिंग आदि इस कार्य हेतु उचित पात्र नहीं मानेगा।

(4) परिषद् अधिकारी का दायित्व होगा कि जनपद बरेली के ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसायिक वाहनों तथा बस, ट्रक, मेटाडोर आदि का रोड परमिट तथा फिटनेस तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक वाहन मालिक ने तद्प्रयोजन हेतु जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।

(5) लाइसेन्स अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत होंगे एवं लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष, जिला पंचायत को ग्राह्य होगी तथा अध्यक्ष, जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) अध्यक्ष, जिला पंचायत या जिला पंचायत को अधिकार होगा कि यदि वह चाहें तो इन उपविधियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर भी उठा सकती है।

(7) ट्रान्सपोर्टर का तात्पर्य दो या दो से अधिक वाहनों के चलाने वाले स्वामियों से है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

(8) लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी--

क्रम सं0	मद	धनराशि
1	2	3
		रु0
1	ट्रांसपोर्टर दो या दो से अधिक वाहनों के लिए	2,000.00
2	बस/ट्रक	1,000.00
3	मिनीबस/मेटाडोर/ट्रैक्टर ट्राली	750.00
4	टैक्सी, विक्रम, थ्रीव्हीलर	500.00
5	एजेन्सी	1,000.00
6	कमीशन एजेन्ट (अ) व्यक्तिगत	500.00
	(ब) फर्म/संस्था	1,000.00
7	नदी/नाले का ठेका, चूना, रेता, बजरी, पत्थर आदि निश्चित सीमा	1,000.00
8	सभी प्रकार के सप्लायर	1,000.00
9	प्रापर्टी डीलर तथा एजेन्ट	2,000.00
10	अंग्रेजी/देशी शराब की दुकान	5,000.00
11	देशी शराब व अन्य नशीले पदार्थों के ठेके लेने तथा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार की अनुज्ञप्तिधारी निगम	2,000.00
12	भांग के ठेकेदार	2,000.00
13	देशी शराब के ठेके लेने वाले व्यक्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क	1,000

(9) लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष होगी, जो अप्रैल से 31 मार्च तक होगी और उसका प्रत्येक 30 जून नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात् 50% प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। एक वर्ष तक नवीनीकरण न कराने की दशा में 100% प्रतिशत विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त लाइसेन्सधारी द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड जमा करने के उपरान्त ही लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बरेली आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर (एक हजार रुपया) 1,000 रु0 तथा अर्थदण्ड लिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो, रुपया 50.00 (पचास) प्रतिदिन की दर से जुर्माना लिया जा सकता है और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

अ...ल कुमार वर्मा,
आयुक्त,
बरेली मंडल, बरेली।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बरेली

19 मार्च, 2002 ई0

सं0 691-92/XXI-53 (2000-01)--क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की दुकानों को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु एवं लाइसेन्स की व्यवस्था करने हेतु बनाये गये उपनियम जो आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित हैं, के पैरा 15 को अतिक्रमित करते हुए निम्नांकित संशोधन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 "यथासंशोधित" की धारा 242 (2) के अनुसार प्रकाशन एवं नियत प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे--

[illegible] 2—[illegible] के अनुसार को शासकीय राजाज्ञा संख्या 4117–41/9–ए—24, [illegible]–55, दिनांक 11 जुलाई, 1956 के अनुसार किसी भी प्रकार से जानवर का वध नहीं किया जायेगा। उक्त शासकीय राजाज्ञा इस उपनियम का अंग माना जायेगा और प्रत्येक लाइसेन्सधारी पर लागू होगा।

3—उत्तर प्रदेश गाय गोवंश वधालय अधिनियम, 1955 प्रत्येक लाइसेन्सधारी पर प्रभावी होगा और उसको मानना होगा। [illegible] अधिनियम इन उपनियमों का अंग माना जायेगा और प्रत्येक लाइसेन्सधारी पर लागू होंगे।

4—कोई [illegible] व्यक्ति जिला परिषद् बरेली से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना ग्रामीण अंचल में वधालय स्थापित नहीं करेगा न चालू रखेगा तथा न ही पशु गोश्त बेचेगा।

5—एयर फोर्स स्टेशन के चारों ओर दस किलोमीटर की परिधि में किसी भी वधालय को स्थापित करने का लाइसेन्स [illegible] नहीं होगा। इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 सरकार व केन्द्रीय सरकार के समय-समय पर संशोधित एक्ट/नियम स्वतः लागू होंगे, जो इस उपनियम के अंग समझे जायेंगे।

6—अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, बरेली इस [illegible] अधिकारी होंगे जो अध्यक्ष, जिला परिषद् [illegible] में कार्य करेंगे। नवीन वधालय [illegible] से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, [illegible] अनिवार्य होगा। उनकी संस्तुति के उपरान्त [illegible] लाइसेन्स जारी किया जा सकेगा।

7—स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय [illegible] वधालय के लाइसेन्स जारी करने से पूर्व प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा उनकी संस्तुति उपरान्त ही [illegible] अधिकारी लाइसेन्स जारी किया जा सकेगा।

8—जिला परिषद, बरेली के अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी/अपर अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकृत अधिकारी, जिसका पद निरीक्षक के पद से न्यून न होगा, हर समय वधालय का निरीक्षण कर सकेगा।

9—वधालय का [illegible] वह होगा जो जिला परिषद, बरेली को मान्य होगा।

10—वधालय का फर्श पक्का होगा, उसके बीच में रक्त बहने का एक पक्का नाला होगा और उसके अन्दर रक्त जमा होने की पक्की हौदिया होगी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमेशा ढकी रहेगा। वधालय की चार दिवारी कम से कम 8 फिट ऊंची होगी और द्वार पर ऐसा फाटक होगा जिससे [illegible] पशु दिखाई न दे।

11—वधालय हेतु इस उप नियम के अन्तर्गत आवेदन-पत्र लाइसेन्स प्राप्त करने वाले को वधालय का मानचित्र [illegible] प्रतियों के साथ देना होगा, जिसमें इमारत की लम्बाई, चौड़ाई और स्थिति अंकित होगी। लाइसेन्स अधिकारी प्रस्तुत मानचित्र के आधार पर कोई संशोधन करेगा, वह लाइसेन्सधारी को मान्य होगा और वह उसी के अनुसार इमारत बनायेगा और अपने पास नक्शे को रखेगा। स्वीकृति के उपरान्त एक प्रति स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

12—लाइसेन्स अधिकारी के आदेश की अपील आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष, जिला परिषद बरेली को हो सकेगी और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

13—लाइसेन्सधारी वधालय का स्थान [illegible] रखेगा और क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी की हिदायत का उसे पालन करना अनिवार्य होगा।

14—वधालय का स्वामी एक रजिस्टर रखेगा और उसमें निम्न आवश्यक प्रविष्टियां करेगा। इस रजिस्टर का निरीक्षण जिला परिषद् के अधिकृत अधिकारी हर समय कर सकेंगे।

1—पशु का नाम (किस्म)

2—आयु,

3—हुलिया,

4—विक्रय करने वाले व्यक्ति का नाम व पता,

5—विक्रय की तिथि,

6—वध की तिथि।

15—पशु वध करने से पूर्व उसके स्वास्थ्य का निरीक्षण पशुधन अधिकारी द्वारा अधिकृत [illegible] सेवक से करा कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही वध कर सकेंगे। निरीक्षणकर्ता पशु का हुलिया-पत्र पर अपनी सहमति लिखेगा और वह हुलिया-पत्र वध करते समय वधालय के स्वामी ले लेंगे और निर्धारित रजिस्टर पर चिपका देगा, जहां उस पशु की अन्य प्रविष्टियां भी [illegible]।

16—निम्नलिखित पशु किसी भी दशा में वध नहीं किया जायेगा :—

(क) गाय,

टिप्पणी—गाय तथा गोवंश के वध के सम्बन्ध में राज्य/भारत सरकार के नियम, उपनियम तथा आदेश, जो जिला परिषद् उपनियमों से भिन्न हों, भी मान्य होंगे और [illegible] सीमा तक जिला परिषद् उप नियम निरस्त समझे जायेंगे।

(ख) भैंस, बकरी जब तक दूध देने योग्य रहे, उनकी अयोग्यता का प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठित पशुधन अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ग) बकरी, बकरा तथा सुअर और दूसरे पशु के वधालय अलग-अलग होंगे।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

[illegible] कोई व्यक्ति वध कार्य नहीं करेगा। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति भी वध नहीं करेगा।

[illegible] पशु वधालय स्थापित करने अथवा पशु [illegible] व्यक्ति को प्रार्थना-पत्र देते समय चरित्र प्रमाण-[illegible] जिला परिषद, बरेली को देना होगा जो [illegible] मास के अन्दर का दो गणमान्य व्यक्तियों द्वारा [illegible] किया गया हो।

[illegible]—आवासीय क्षेत्र/भवन तथा धार्मिक स्थलों से [illegible] की न्यूनतम दूरी 200 मीटर होगी।

1[illegible]—लाइसेन्स की किसी भी शर्त की पाबन्दी न होने [illegible] में अपर मुख्य अधिकारी / लाइसेन्स अधिकारी को [illegible] के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त लाइसेन्स स्थगित व निरस्त करने का अधिकार होगा।

19—लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर [illegible] 31 मार्च तक होगी।

प्रत्येक आगामी वर्ष हेतु लाइसेन्स का नवीनीकरण [illegible] अप्रैल तक करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात [illegible] प्रकार विलम्ब शुल्क देय होगा —

(क) 1 मई से 30 जून तक निर्धारित लाइसेन्स फीस का 25 प्रतिशत।

(ख) 30 जून के उपरान्त निर्धारित लाइसेन्स फीस का 50 प्रतिशत।

20—लाइसेन्स फीस निम्न प्रकार होगी—

	रु०
(क) पशु वधालय बड़ा पशु,	500.00
(ख) पशु वधालय बकरी, भेड़, दुम्बा	300.00
(ग) पशु वधालय सुअर	200.[illegible]
(घ) दुकान पर गोश्त बेचना	150.[illegible]

21—लाइसेन्स फीस की वसूली जिला परिषद क्षेत्र समिति अधिनियम, 1961 [illegible] से भी की जा सकती है।

22—लाइसेन्स फीस की दरों को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार परिषद में निहित होगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि लाइसेन्स फीस [illegible] से कम नहीं की जायेगी।

23—पशु वध करने वाले व्यक्ति से [illegible] लाइसेन्सदार/स्थायी निम्न शुल्क प्राप्त [illegible]—

	रु०
(क) बड़ा पशु	[illegible]
(ख) छोटे पशु, बकरा, बकरी आदि	[illegible]

दण्ड

जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा [illegible] प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, [illegible] यह आदेश देती है कि किसी भी उपनियम के उल्लंघन [illegible] अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो 250.00 रुपये तक हो [illegible] है और जब तक उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त [illegible] से दण्डनीय होगा जो प्रथम आरोप सिद्ध होने के [illegible] ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो [illegible] अपराध करता रहा है, 10.00 रुपया प्रतिदिन [illegible] सकता है अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया [illegible] तो कारागार के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो [illegible] हो सकता है।

10 अगस्त, 1992 ई०

सं० 903-4/[illegible]—50 (91-92)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद [illegible] 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत जिला परिषद, बरेली के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित [illegible] पुस्तक, लेखन सामग्री आदि को नियन्त्रित व नियमित करने हेतु बने उपनियम जो विज्ञप्ति संख्या 338-340/21-62 (80-81) दिनांक [illegible] जनवरी, 1983 द्वारा स्वीकृत उपनियम के धारा 15 में [illegible] स्वीकृत किया गया है जो शासकीय गजट में प्रकाशन तिथि से स्तम्भ-2 में प्रति स्थापित शुल्क [illegible] उक्त संशोधन की पुष्टि, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ने कर दी है :

उपविधि

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2
क्रम सं०	वर्तमान शुल्क	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित शुल्क
	भारत सरकार मान्यता प्राप्त माप एवं बाटों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री तथा अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाइसेंस देय होगा और उस पर जिस पर देय शुल्क लगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है :	भारत सरकार मान्यता [illegible] प्रयोग किया जायेगा। [illegible], वस्त्र, पुस्तक, लेखन-सामग्री तथा [illegible] (दुकानों) पर लाइसेंस [illegible] जिस पर से शुल्क लगेगा, [illegible] प्रकार है :
	रु०	[illegible]
1	गल्ले के व्यापारी एवं आढ़ती 100.00	[illegible]
2	गल्ले के व्यापारी 75.00	100.[illegible]

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 73] प्रयागराज, शनिवार, 2 मार्च, 2019 ई० (फाल्गुन 11, 1940 शक संवत्) [संख्या 8

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु० 3075			रु०
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	107–119	1500	भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	175–183		भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	13–28	975	भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़ें, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	93–107	975
			स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	13–15	1425

48-डि०ग०1-A

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

सं0 4597-48/इक्कीस-07/2017-18--प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लाइसेंस फीस की दरों में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से मिल/कारखाना/फैक्ट्री की उपविधियों की दरों में संशोधन हेतु जिला पंचायत, बरेली के उपनियम।

मिल/कारखाना/फैक्ट्री के उपविधियों की संशोधित दरों का विवरण

क्र0 सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	रुपये में
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नान सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम वे कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्‌ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपरकोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लान्ट	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई से अधिक)	50,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

1	2	3
		रु0
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लान्ट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइन्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेन्ट क्रंकीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

1	2	3
		रु०
61	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
74	स्टील, आलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

1	2	3
		रु0
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
100	रांगा बनाने का क़ारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00
103	सरेश मिल/राईस मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीजल मिल	5,000.00
106	गैस वाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारख़ाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडीमेट गारमेन्ट्स का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारख़ाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
121	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है :

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (रुपये में)
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (Micro) (लागत 25 लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00
2	लघु उद्योग (Small) (लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00
3	मध्यम उद्योग (Medium) (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 50,000.00
4	भारी उद्योग (Heavy) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, बरेली यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति उक्त उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 1000.00 रुपये तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषसिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 100.00 प्रतिदिन तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

नोट–जिल पंचायत, बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत व्यवसाइयों को उपरोक्त संशोधित दरों में यदि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर कार्यालय दिवस में अपनी आपत्ति स्वयं या रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला पंचायत, बरेली के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। समय निकलने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग-3–2019 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।